भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1622

13.02.2023 को उत्तर के लिए

धान के पौधों से उत्पन्न अपशिष्ट

1622. श्री मनोज कोटक :
श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे :
डॉ. मोहम्मद जावेद :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का धान के पौधों से उत्पन्न अपशिष्ट को कम करने के लिए बायोमास ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए पेलेटाइजेशन और टॉरफेक्शन संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिससे कि पंजाब और हरियाणा राज्यों में धान की फसलों से उत्पन्न इन अशोधित अपशिष्ट को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम और नियंत्रित किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह योजना देश के अन्य भागों में भी लागू है जहां धान की फसल उगाई जाती है और यदि हां, तो इस योजना के तहत अब तक पंजीकृत/लागू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पैडी पेलेट योजना के लाभार्थियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का संज्ञान लिया है कि इसके तहत वित्तीय प्रोत्साहन उत्पादन लागत को शामिल नहीं किया जाता है;

(घ) क्या सरकार ने योजना शुरू करने से पहले निर्माताओं और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार धान के अलावा अन्य फसलों के लिए भी इस योजना का विस्तार करने का है; और

(च) वर्ष 2014 से प्रति वर्ष पराली जलाने की घटनाओं के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (च) दिल्ली/एनसीआर में धान की पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पेलेटाइजेशन और टॉरफेक्शन संयंत्रों की स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण प्रभार (ईपीसी) निधि के तहत एक बारगी वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उत्तर भारत में धान की पराली को जलाने की समस्या, जो दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारकों में से एक है, को ध्यान में रखते हुए धान की पराली पर आधारित पेलेट संयंत्रों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए थे।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार, पेलेटाइजेशन संयंत्र के मामले में, संयंत्र और मशीनरी की पूंजीगत लागत के लिए सीपीसीबी द्वारा एक बारगी वित्तीय सहायता के रूप में 70 लाख रुपए प्रति प्रस्ताव की कुल वित्तीय सहायता के अध्यधीन 14 लाख रूपए प्रति टन संयंत्र उत्पादन क्षमता प्रति घंटा की अधिकतम धनराशि दी जाती है। टॉरफेक्शन संयंत्र के मामले में, सीपीसीबी द्वारा एक-बारगी वित्तीय सहायता के रूप में 1.4 करोड़ रूपए प्रति प्रस्ताव की कुल वित्तीय सहायता के अध्यधीन 28 लाख रुपए प्रति टन संयंत्र उत्पादन क्षमता प्रति घंटा की अधिकतम धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

देश भर में अन्य कृषि अवशिष्टों के लिए एमएनआरई द्वारा एक और स्कीम शुरू की गई है। एक टीपीएच (टन प्रति घंटा) की क्षमता के गैर-टॉरेफाइड पेलेटाइजेशन के लिए 45 लाख रूपए प्रति इकाई की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, 9 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

प्रारूप दिशा-निर्देशों में प्रस्तावित लागत, विचार-विमर्शों और बाजार प्रतिभागियों से प्राप्त सूचना के आधार पर निर्धारित की गई थी, जिन्हें बाद में विशेष रूप से वित्त पोषण के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया गया था।

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में वर्ष 2018 से 2022 तक 01 अक्तूबर से 30 नवंबर की अवधि के दौरान पराली जलाने के कुल क्रमश: 314661, 30446, 23, 4374 और 22756 मामलों की सूचना मिली थी।

****